

प्रारम्भिक डिगरी व मुकद्दमें इब्दादाई

(आ 20 रुल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : सहायक कलक्टर(SDO) मुकाम मावली  
बईजलास मोहन सिंह , आर.ए.एस.

उन्वान

1. श्रीमती देऊबाई पत्नी धर्मा कुम्हार निवासी मेडता तह. मावली।

.....वादीया

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता धर्मा कुम्हार निवासी मेडता तह.मावली।
2. श्री भगवतीलाल पिता धर्मा कुम्हार निवासी मेडता तह.मावली।
3. श्रीमती सुन्दर पुत्री धर्मा पत्नी हेमा कुम्हार निवासी मेडता, हाल भीण्डर तह. वल्लभनगर।
4. श्रीमती मांगी पुत्री धर्मा पत्नी शांतिलाल कुम्हार निवासी मेडता, हाल मेनार तह. वल्लभनगर।
5. श्री खेमराज पिता वाला कुम्हार निवासी मेडता तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।
7. पटवारी , पटवार हल्का मेडता, तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 250 / 16 (वाद)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिगरी दी जाती है कि :-

वाद वादीया प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता की आराजी न. 1757, 2047, 2048 किता 3 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा एवं आ. न. 2065, 2066, 2067 किता 3 रकबा 01 बीघा 4 बिस्वा भूमि का पक्षकारान के मध्य हिस्सेनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/- रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो-दो प्रतियों में पेश किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावें। फिस कमिश्नर वादीया मौके पर अदा करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.02.2018 को जारी की गई।



( मोहन सिंह )  
सहायक कलक्टर(SDO),मावली  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली